



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072023-247486
CG-DL-E-20072023-247486

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 507]
No. 507]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 20, 2023/आषाढ़ 29, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 2023/ASHADHA 29, 1945

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2023

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2023

आई.बी.बी.आई./2023-24/जी.एन./आर.ई.जी.103 .— भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, धारा 207 और धारा 208 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: —

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “मूल विनियम” कहा गया है) के विनियम 5 के खंड (ग) के उपखंड (ii) में, “स्नातक दिवाला कार्यक्रम” शब्दों के स्थान पर “स्नातकोत्तर दिवाला कार्यक्रम” शब्द रखे जाएंगे।
- मूल विनियमों की द्वितीय अनुसूची के प्ररूप ‘क’ में, “ख. अर्हताएं: शैक्षिक, व्यावसायिक, दिवाला परीक्षा और रजिस्ट्रीकरण-पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम” अनुशीर्षक की सारणी “(iii) दिवाला परीक्षा” के क्रम सं. 2. के सामने, “स्नातक दिवाला कार्यक्रम” शब्दों के स्थान पर “स्नातकोत्तर दिवाला कार्यक्रम” शब्द रखे जाएंगे।

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./295/2023-24]

टिप्पण : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 424, तारीख 23 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.003, तारीख 23 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 472, तारीख 28 सितम्बर, 2022 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.099, तारीख 28 सितम्बर, 2022 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 द्वारा किए गए।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2023

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2023

No. IBBI/2023-24/GN/REG103.—In exercise of the powers conferred by sections 196, 207 and 208 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.
2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the ‘principal regulations’), in regulation 5, in clause (c), in sub-clause (ii), before the words “Graduate Insolvency Programme”, the word “Post” shall be inserted.
3. In the principal regulations, in the Second Schedule, in Form A, in caption B. QUALIFICATIONS: EDUCATIONAL, PROFESSIONAL, INSOLVENCY EXAMINATION AND PRE-REGISTRATION EDUCATIONAL COURSE, in table (iii) Insolvency Examination, in Sl. No. 2 row, before the words “Graduate Insolvency Programme”, the word “Post” shall be inserted.

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./295/2023-24]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 were published *vide* Notification No. IBBI/2016-17/GN/REG003 dated 23rd November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 424 on 23rd November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Fourth Amendment) Regulations, 2022 published *vide* Notification No. No. IBBI/2022-23/GN/REG099 dated 28th September, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No.472 on 28th September, 2022.